अनुसंधान विभाग

आरटीआई अधिनियम कीधारा 4(i) (ख) के अधीन सक्रिय प्रकटीकरण पर कॉफ़ी बोर्ड के अनुसंधान विभाग से संबंधित सूचना निम्नलिखित है:

(i) सार्वजनिक प्राइवट सहभागिता अनुसंधान

कॉफ़ी बोर्ड की छत्रछाया के अधीन केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान सन 1925 से कॉफ़ी फसल के क्षेत्र के अनुसंधान में कार्यरत है तथा इसके द्वारा कॉफ़ी के उपजाऊ एवं आर्थिक कृषि के लिए अनेक नए प्रौद्योगिकी का सृजन किया। बदलते परिप्रेक्ष्य में, कॉफ़ी बोर्ड के अनुसंधान क्रियाकलापों को और अधिक सार्थक, फलप्रद एवं प्रयोक्ता हितैषी बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दक्षता प्राप्त संस्थाओं से सहयोग स्थापित करना आवश्यक है। निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सीसीआरआई की सहभागी अनुसंधान परियोजनाएँ हैं:

- कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस), जीकेवीके, बेंगलूर
- कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (यूएएस), धारवाड़
- कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शंकरगट्टा, शिवमोगा
- मेटा हेलिक्स जीव विज्ञान, बेंगलूर
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), नई दिल्ली
- केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान (सीएफ़टीआरआई), मैसूर
- कोशिकीय सूक्ष्म जीवविज्ञान केंद्र(सीसीएमबी), हैदराबाद
- मदुरै कामराज विश्वविद्यालय (एमकेयू), मदुरै
- तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबत्तूर
- आईसीएआर एवं आईआईएचआर संस्थान
- काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान,बेंगलूर
- कीटाणु नियंत्रण,भारत,बेंगलूर-आईआईपीएम महत्वपूर्ण अनुसंधान पहल

बहु-संस्थागत राष्ट्रीय परियोजनाएँ

1. " कॉफ़ी के विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण " 1999 - 2004 विषय पर बहु-संस्थागत नेटवर्क कार्यक्रम जो डीबीटी, नई दिल्ली; सीसीआरआई; सीसीएमबी, हैदराबाद; सीएफ़टीआरआई, मैसूर; एमकेयू, मदुरै; यूएएस, बेंगलूर एवं आईआईएससी, बेंगलूर द्वारा प्रायोजित है।
2. " भारतीय कॉफ़ी जेनोम अनुसंधान कर्यक्रम " 2007- 2010 विषय पर बहु-संस्थागत नेटवर्क कार्यक्रम जो

डीबीटी, नई दिल्ली; सीसीआरआई; सीसीएमबी, हैदराबाद; सीएफ़टीआरआई, मैसूर; एमकेयू, मदुरै एवं यूएएस, बेंगलूर द्वारा प्रायोजित है।

3.“ रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर पर्यावरण हितैषी व जैवविलेयक विकल्प के रूप में नीम आधारित कीटनाशकों के निर्माण एवं प्रोन्नयन ” 2007-2009 विषय पर परियोजना जो रसायन व उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।

4.“ व्हाइट स्टेर्म बोरर के प्रतिरोधक अरेबिका पौधों का विकास ” 2010-2013 विषय पर डीबीटी द्वारा प्रायोजित बहु-संस्थागत जैव-प्रौद्योगिकी परियोजना ।

निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ भी सीसीआरआई की सहभागी अनुसंधान परियोजनाएँ हैं:

- प्राकृतिक संसाधन संस्थान, ग्रीनविच विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम
- सीआईआरएडी, मोंटपेल्लियर, फ्रांस
- आईआरडी, मोंटपेल्लियर, फ्रांस
- सीएबीआई, जैवविज्ञान, यू.के
- ट्रियस्टा विश्वविद्यालय, इटली
- सीआईएफ़सी, पुर्तुगल
- कॉफ़ी अनुसंधान प्रतिष्ठान, केन्या
- खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ़एओ), रॉम
- अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन (आईसीओ) एवं सामान्य वस्तु निधि (सीएफ़सी)
- अंतरराष्ट्रीय कॉफ़ी जेनोम नेटवर्क, फ्रांस

अंतरराष्ट्रीय सहयोगी परियोजनाएँ

1.“ रोग विज्ञान एवं प्रमुख रोगों से प्रतिरोध से कॉफ़ी के विकास ” विषय (1990-1994) पर सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम जिसमें सीआईएफ़सी, पुर्तुगल; सीसीआरआई, भारत; कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, मालावी तथा जैव विज्ञान स्कूल, नोरविच, यूनाइटेड किंगडम सम्मिलित हैं।

2.“ कॉफ़ी व्हाइट स्टेर्म बोरर के नियंत्रण के लिए लिंग फेरोमोन सिस्टम का विकास ” विषय (1996-1998) पर अनुसंधान जो प्राकृतिक संसाधन संस्थान, ग्रीनविच विश्वविद्यालय, यू. के एवं सीसीआरआई, भारत द्वारा कार्यान्वित है।

3.कॉफ़ी के बीटी जीन्स के विकास के लिए इंडो-फ्रेंच सहयोगी परियोजना - 1995-1998

4.यह परियोजना 1998-2001 के दौरान सीएबीए-जैव विज्ञान, लंदन द्वारा भारत, कोलंबिया, मेक्सिको,

इक्वडोर, ग्वाटीमाला, होंडुरास व जमैका जैसे सात कॉफ़ी उत्पादक देशों में कार्यान्वित किया गया है।

5."फफूँदी सृजन निवारण द्वारा कॉफ़ी गुणता प्रवर्धन -2000-2005 " विषय पर आईसीओ/ सीएफसी/एफ़एओ बहु-देशीय वैश्विक परियोजना।

6." भारत, मालावी एवं ज़िम्बाब्वे के लघु-जोत कॉफ़ी फ़ार्म्स में समेकित स्टेर्म बोरर प्रबंधन -2002-2007 " विषय पर बहु-देशीय आईसीओ-सीएफसी परियोजना।

7." कॉफ़ी पत्ताकिट्ट पर बहु-देशीय सहयोगी आईसीओ-सीएफसी परियोजना - 2008-12 " जो भारत, केन्या, ज़िम्बाब्वे एवं मालावी जैसे चार देशों में सीअबीआई द्वारा कार्यान्वित है।

नागरिक चार्टर

अनुसंधान विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची

क्रमांक	सेवाओं की श्रेणी	सेवा मानक	सेवा का प्रभार रू. प्रति प्रतिमान		
			छोटे उपजकर्ता	बड़े उपजकर्ता	कॉर्पोरेट
1.	उपजकर्ताओं से प्राप्त मृदा प्रतिमानों का पंजीकरण, विश्लेषण (पी^{एच} ओ.सी, पी & के) तथा उपजकर्ताओं को वैश्लेषिक रिपोर्ट की प्रस्तुति	प्रतिमानों की प्राप्ति के बाद 15 कार्य दिवस	15	25	50
2.	उपजकर्ताओं से प्राप्त पत्ता प्रतिमानों का पंजीकरण, विश्लेषण (कुल एनपीके) तथा उपजकर्ताओं को वैश्लेषिक रिपोर्ट की प्रस्तुति	प्रतिमानों की प्राप्ति के बाद 20 कार्य दिवस	20	20	40
3.	उपजकर्ताओं से प्राप्त जैव रसायन प्रतिमानों का पंजीकरण, विश्लेषण (एजी लाइम, डोलोमाइट, कॉप्पर सलफेट, उर्वरक, जैव खाद,	प्रतिमानों के रसीदों की प्राप्ति के बाद 10 कार्य दिवस			
		प्रतिमान			

	पूरक व सूक्ष्म पोषक) तथा उपजकर्ताओं को वैश्लेषिक रिपोर्ट की प्रस्तुति	एजी लाइम	20	40	50
		डोलोमाइट	40	80	100
		कॉप्पर सलफेट	30	60	75
		उर्वरक	30	60	75
		जैवखाद	30	60	75
		पूरक व सूक्ष्म पोषक	प्रत्येक एलिमेंट पर रू.30/-		
4.	उत्तम बीजों की आपूर्ति	जनवरी से मार्च तक माँग के अनुसार विस्तारण कार्यालयों द्वारा	अरेबिका एवं रोबस्टा दोनों के लिए रू.200/- प्रति किलो		
5.	जैव-नियंत्रक कारकों की आपूर्ति	अक्तूबर माह के दौरान माँग के आधार पर	रू.75/- प्रति ट्रैप व ल्यूर		
6.	फेरोमोन ट्रैप की आपूर्ति	मार्च-अप्रैल व अक्तूबर-दिसंबर माह के दौरान माँग के आधार पर	रू.74/- प्रति ट्रैप व ल्यूर		
7.	ब्रोका ट्रैप की आपूर्ति	अक्तूबर-अप्रैल माह के दौरान माँग के आधार पर	रू.13/- प्रति ट्रैप व ल्यूर		

उपरोक्त सेवाओं के अलावा, उपजकर्ताओं को विकसित पौधा-सामग्रियाँ/क्लोन्स, समस्याग्रस्त एस्टेटों में नेरीक्षण व सलाह तथा कॉफ़ी संवर्धन पर प्रशिक्षण (प्रबंधन प्रशिक्षण, वैतनिक प्रशिक्षण व गहन प्रशिक्षण) आदि सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं।